

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दोसा

गुलाक

बनाम

राधाकृष्ण कौठ

किस्म मुकदमा-प्रा०पत्र 128 एल.आर.ए.

मु०नं०-6/2025

पीठारीन अधिकारी- डॉ० नवनीत कुमार (आर०ए०एस०)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही चाही गई है। लेकिन पत्रावली एवं संलग्न दरतावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसके सभी खातेदारान द्वारा पत्थरगढी हेतु आवेदन नहीं किया गया है इसलिए सहखातेदारी भूमि में बिना सभी सहखातेदारान के आवेदन के पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दोसा</p>	